दिनांकः– 05.09.2018 एवं 06.09.2018 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में राज्य में खाद्य पदार्थों की लैब टेस्टिंग से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. श्री चंद्र किशोर उराँव, अपर सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. श्री चतुर्भुज मीणा, खाद्य विश्लेषक, राँची।
4. श्री प्रणय कुमार, सनटेक, तुपुदाना इंडस्ट्रीयल एरिया, राँची। मोबाईल सं0 – 9934148451
5. श्रीमती प्रिती वर्मा, सनटेक, तुपुदाना इंडस्ट्रीयल एरिया, राँची। मोबाईल सं0 – 8002500239
6. श्री मदन मोहनपति त्रिपाठी, विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।

बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

1. ज्ञात है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 के तहत विद्यालयों, आँगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले पके पकाये भोजन की गुणवत्ता के जाँच का प्रावधान है।
2. झारखण्ड राज्य में आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा मध्याह्न भोजन विद्यालयों की कुल संख्या लगभग 1,25,000 है।
3. प्रत्येक माह एक लाख से अधिक खाद्य पदार्थों की जाँच करने की आवश्यकता महसूस की गई।
4. श्री चतुर्भुज मीणा, खाद्य विश्लेषक द्वारा बताया गया कि उनका लैब नामकुम, राँची में स्थित है। जिसकी क्षमता 5 – 6 सैंपल प्रतिदिन है।
5. महाराष्ट्र में कुल 50 निजी लैब स्थापित है। प्रत्येक सैंपल की जाँच के लिये 200 रु0 का प्रावधान है।
6. श्री प्रणय कुमार एवं सुश्री प्रीति वर्मा सनटेक, राँची, जिनके द्वारा राँची के तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक लैब संचालित किया जाता है, भी बैठक में भाग लिए, उनके संस्थान की क्षमता अधिक है। उक्त संस्थान राज्य में 2002 से स्थापित है।
7. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके अन्तर्गत बने नियमों/विनियमों के अन्तर्गत देश में 213 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्यवार विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य/सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाएँ	रेफरल खाद्य प्रयोगशालाएँ	एफ0एस0एस0ए0आई0 द्वारा अधिसूचित एन0ए0बी0एल0–प्रत्यायित मुख्यतः निजी प्रयोशालाएँ
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	–	–
2	आंध्र प्रदेश	1	1	1
3	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
4	असम	1	–	–

5	बिहार	1	–	–
6	छत्तीसगढ़	1	–	–
7	चंडीगढ़	–	–	–
8	दादरा और नगर हवेली	–	–	–
9	दमन और दीव	–	–	1
10	दिल्ली	1	–	15
11	गोवा	1	–	1
12	गुजरात	6	1	7
13	हरियाणा	2	–	12
14	हिमाचल प्रदेश	1	–	1
15	जम्मू और कश्मीर	2	1	–
16	झारखण्ड	1	–	–
17	कर्नाटक	4	2	11
18	केरल	3	2	7
19	लक्षद्वीप	–	–	–
20	मध्य प्रदेश	3	–	5
21	महाराष्ट्र	11	2	20
22	मणिपुर	–	–	–
23	मेघालय	1	–	–
24	मिजोरम	–	–	–
25	नागालैंड	1	–	–
26	ओडिशा	1	–	1
27	पुदुच्चेरी	1	–	–
28	पंजाब	3	–	3
29	राजस्थान	8	–	5
30	सिक्किम	–	–	–
31	तमिलनाडु	7	2	16
32	तेलंगाना	1	2	6
33	त्रिपुरा	1	–	–
34	उत्तर प्रदेश	3	2	7
35	उत्तराखंड	–	–	1
36	पश्चिमी बंगाल	5	1	5
	कुल	72	16	125

8. श्री चतुर्भुज मीणा, खाद्य विश्लेषक दिल्ली जा रहे हैं। उनको निदेश दिया गया कि वे टेक्निकल लैब से संबंधित रिपोर्ट आयोग को भेजें।
9. Expression of Interest के माध्यम से प्रत्येक जिले में लैब स्थापित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।
10. लैब टेस्टिंग से संबंधित रेट किनके द्वारा निर्धारित किया गया है, इसका Circular आयोग को भेजने का निदेश श्री प्रणय कुमार, सनटेक, राँची को दिया गया।
11. श्री प्रणय कुमार द्वारा बताया गया कि यह लैब टेक्निकल के साथ – साथ Nutrition का भी लैब है। खाद्य पदार्थों की जाँच करने से संबंधित FSSAI में जिन्हें लाईसेंस लेना होता है, उनका टेस्टिंग कराया जाता है।
12. लैब में खाद्य पदार्थों की जाँच से संबन्धित activity का 5 से 6% है।
13. श्री प्रणय कुमार को निदेश दिया गया कि वे Norms रेट एवं क्षमता तथा प्रति लैब का पैरामीटर बना कर इसके cost से संबंधित रिपोर्ट आयोग को भेजें।
14. श्री युगांतर भारती भी इस तरह की लैब का संचालन करते हैं। जहाँ केवल ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता जाँची जाती है। खाद्यान्न की गुणवत्ता जाँच को भी सम्मिलित करने के लिये अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।
15. लैब से संबंधित ट्रेनिंग मॉडल बनाने का निर्णय लिया गया। ताकि मैन पावर की कमी को दूर किया जा सके।
16. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से अनुरोध किया जाय कि वे Nutrition जाँच से संबंधित कार्य को जोड़ें। इस संबंध में सचिव को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया।
17. खाद्यान्न से संबंधित टेस्टिंग की प्रक्रिया एवं सैंपल लेने का प्रोसिजर भी आयोग को भेजने का निदेश दिया गया।
18. BIT मेसरा के संबंधित अधिकारियों को भी अगली बैठक में बुलाने का निर्णय लिया गया।
19. लैब का जो प्रशासी विभाग है, वह स्वास्थ्य विभाग है। इससे संबंधित एक Policy बनाने के लिये Expression of Interest आमंत्रित करने के लिये स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

ह0/–
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0(विविध)22 / 2018– राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची एवं महानिदेशक, पोषाहार मिशन, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(सुनील कुमार सिन्हा)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0(विविध)22 / 2018– राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्री चंद किशोर उराँव, अपर सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्री चतुर्भुज मीणा, खाद्य विश्लेषक, खाद्य गुणवत्ता जाँच केन्द्र, नामकुम, राँची को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(सुनील कुमार सिन्हा)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0(विविध)22 / 2018– राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्री प्रणय कुमार, सनटेक, HI 230, हरमू हाऊसिंग कॉलोनी, राँची – 2, मो0 नं0 – 7808266661 / 7808266663 एवं श्रीमती प्रिती वर्मा, सनटेक, तुपुदाना इंडस्ट्रीयल एरिया, राँची को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(सुनील कुमार सिन्हा)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।